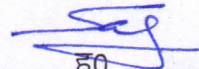


DETAIL JUSTIFICATION FOR THE PROPOSED PROJECT IN FOREST AREA

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली की बद्रीनाथ विधान सभा के अन्तर्गत पोखरी (ग्राम उदयपुर एवं ग्राम सिनाऊ तल्ला मल्ला) में राजकीय पॉलीटेक्निक पोखरी, चमोली के निर्माण हेतु कुल रकवा 0.964 हे० अर्थात् 2.3815 एकड़ वन भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रस्ताव।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या **746/XLI-1/2013-74/13**, दिनांक 08 अगस्त 2013 द्वारा जनपद चमोली की बद्रीनाथ विधान सभा के अन्तर्गत पोखरी (ग्राम उदयपुर एवं ग्राम सिनाऊ तल्ला मल्ला) में राजकीय पॉलीटेक्निक पोखरी, संस्थान की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। इस परियोजना से इस क्षेत्र व राज्य के बच्चों को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के सुन्दर अवसर प्रदान होंगे। भूमि की मांग जनहित में न्यूनतम है।


ह०
समन्वयक/प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
पोखरी, चमोली

प्रपत्र-10

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली की बद्रीनाथ विधान सभा के अन्तर्गत पोखरी (ग्राम उदयपुर 0.404 हे० एवं ग्राम सिनाऊ तल्ला मल्ला 0.560 हे०) में राजकीय पॉलीटेक्निक पोखरी, चमोली के निर्माण हेतु कुल रकवा 0.964 हे० अर्थात् 2.3815 एकड़ वन भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रस्ताव।

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण -पत्र

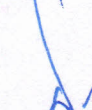
प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है व चयनित भूमि पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है। आवेदित 0.964 हे० वन भूमि न्यूनतम है व इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है।

ह०



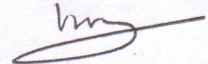
समन्वयक/प्रधानाचार्य
प्रयोक्ता एजेन्सी
राजकीय पॉलीटेक्निक
पोखरी, चमोली

ह०



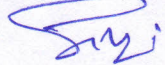
प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर (चमोली)

ह०

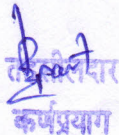


जिलाधिकारी
चमोली

नोट:- यह सूचना प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी व जिलाधिकारी के हस्ताक्षर करवाकर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।



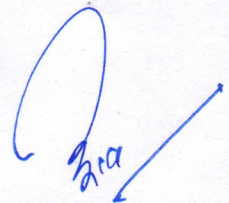
एस० डी० सिमल्ट
राजस्थ उपनिरीक्षक
क्षेत्र-देवर, तहसील चमोली
जिला-चमोली, उत्तराखण्ड



तहसीलदार
कर्णप्रयाग



उप जिलाधिकारी
तहसील पोखरी
जनपद-चमोली



उ० प्र० व० अ०
गौचर (गोपेश्वर)